न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालका तहसील मारवाड जंक्शन		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 एवं डिक्री दिनांक 28.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम तालका के खसरा नम्बर 41 रकबा 3.00 हैक्टेयर, जिसके गत खसरा नम्बर 13 रकबा 205 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि गत खसरा नम्बर 13 की भूमि सम्वत् 2010 से 2019 की जमाबन्दी अनुसार वादी/अपीलाण्ट के पिता मंगलसिंह के नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी। चूंकि उक्ते भूमि का सम्पूर्ण रकबा बडा था, जिस पर कृषि कार्य अथवा काश्त करना अपीलाण्ट के पिता की पहुॅच से बाहर था। इस कारण उक्त भूमि में से 3.00 हैक्टेयर भूमि ही अपीलाण्ट के पिता के कब्जे काश्त में थी, जो वर्तमान खसरा नम्बर 41 है। सेटलमेन्ट द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि को गोचर व बंजड दर्ज कर दिया, जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं था। गत खसरा नम्बर 13 में काफि लोग काबिज काश्त थे। जिनमें से काफि खातेदारान् व उनके वारिशान को उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर उनके कब्जा काश्त अनुसार दिनांक 16.06.1988 को आवंटन कमेटी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुसार आवंटन कर दिया, किन्तु वक्त आवंटन वादी/अपीलाण्ट अपने निवास स्थान से बाहर गया होने से वादी/अपीलाण्ट को उसके कब्जा काश्त की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सका। सेटलमेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के पिता का नाम उक्त भूमि के खातेदार से हटाकर भूमि राजस्व रेकर्ड में बंजड दर्ज कर दी, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट को उक्त स्थिति की जानकारी होने पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाबदावा में वाद में वर्णित **तथ्यों को स्वीकार किया, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय** पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम किए गए विवाधकों का समुचित विनिश्चय नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत **गवाह ने वादी के वाद के तथ्यो को स्वीकार किया, इस कारण विवाधक संख्या 1 के तथ्य** स्वीकार योग्य थे, जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक संख्या 1 वादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किया गया, जो विधि विरूद्ध है। इसी प्रकार विवाधक संख्या 1 के विवेचन अनुसार विवाधक संख्या 2 भी अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किया गया। जहां तक विवाधक संया 3 व 4 का प्रश्न है तो जैर अपील वादस्थ भूमि से अपीलाण्ट को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है तथा बेदखल किये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य **परीक्षित नहीं हुई है, फिर भी मात्र रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस को सत्य मानते हुए** विवाधक संख्या 3 अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किया गया है। जैर अपील वादस्थ भूमि गोचर नहीं थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे गोचर की संज्ञा देते हुए जैर **अपील आदेश पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में शुमार नहीं होती है। जैर अपील वादस्थ भूमि कि किस्म बारानी दोयम है। जिस पर संवत 2010 से अपीलाण्ट के पिता एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी भूमि थी तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी समाप्त करते हुए उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दी, जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के साक्ष्यों आदि पर किसी प्रकार का गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट का दावा डिक्री फरमावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 954, आर0आर0टी0 2009–10 (सप्ली.) पेज 143, आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 27 तथा आर0आर0डी0 1969 पेज 231 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि **अपीलाण्ट द्वारा मौजा तालका के खसरा नम्बर 41 रकबा 3.00 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिकूल** कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019, खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य परीक्षित करवाये। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की, वे इस प्रकार है –

1. आया वादी मौजा तालका में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 के रकबा **3.00 हैक्टेयर वादी का कदीमी कब्जा होने से वादी के नाम खातेदारी** घोषित करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी
2. आया वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी
3. आया प्रतिवादी ने वादी के विरूद्ध निम्नानुसार एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की है व वादी स्वयं अतिक्रमी है ? जिम्मे प्रतिवादी
4. आया प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी मौजा तालका में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 के रकबा 3.00 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होने से वादी खातेदारी घोषित करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी
5. आया प्रतिवादी के विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी
6. अनुतोष ?

वादी द्वारा उपरोक्त तनकीयात को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–18 प्रस्तुत किए तथा मुख्य परीक्षण में स्वयं वादी विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह, गवाह भेराराम पुत्र जोधाराम, गवाह गोमाराम पुत्र नेनाराम, गवाह पुखराज पुत्र केसरसिंह, गवाह गोदाराम पुत्र प्रभूराम परीक्षित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से गवाह लालाराम मीणा मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए। वादी/अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो गवाह प्रस्तुत किये, उनके शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रतिपरीक्षा में कहे गए तथ्यों में भिन्नता होने के कारण वादस्थ भूमि पर वादी/अपीलाण्ट का लगातार कब्जा सिद्ध नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की, उसमें सरकारी पैरोकार ने यह स्वीकार किया कि ग्राम तालका के खसरा नम्बर 13 की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 में वादी के पिता मंगलसिंह का 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज था। खसरा नम्बर 13 से नवीन खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में वादी/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा मिलान की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 13 से हाल खसरा नम्बर 41 बने है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बंजड के रूप में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने तथा नये रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण ही नहीं किया गया है तथा न ही उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को अपने निर्णय में रेखांकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो गत खसरा नम्बर 13 में अपीलाण्ट के पिता की भूमि के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित किए है तथा न ही गत खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 41 में विधिक रूप से अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी की है, जबकि ये बिन्दु वाद के न्यायोचित निर्णय में मुख्य थे तथा वाद के आधार बिन्दु थे। इस्तगत प्रकरण में कईं कानूनी बिन्दुओं को भी गौण रखा गया है, जैसे कि गत खसरा नम्बर 13 में अपीलाण्ट्स के पिता का 1/6 हिस्सा दर्ज था, तो गत खसरा नम्बर से नवीन खसरा नम्बर तहरीर करते वक्त उक्त हिस्से विलोपित किस आधार पर किया गया तथा क्या भू-प्रबन्ध अधिकारीयों को किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को रद्दोबदल करने का अधिकार था ? इसके अतिरिक्त यदि अपीलाण्ट के पिता का 1/6 हिस्सा अन्य खसरा नम्बर में समाहित हुआ, तो किस खसरा नम्बर में ? इन समस्त बिन्दुओं पर विवेचन किए बिना जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधिक दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है तथा इस प्रकार पारित निर्णय को समर्थन नहीं दिया जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 एवं डिक्री दिनांक 28.12.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बादं हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

प्रमाणित-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली